

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011 वैशाख 12, 1933

No. 2301

पर

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2011

सा.का.नि. 357(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 314 की उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पहले जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 89 (अ), दिनांक 5-2-2003 का अधिक्रमण करते हुए निम्निलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

- 1. (1) लघुशीर्षक एवं प्रवृत्त होना : (1) इन नियमों को निर्देशकों के संबंधी (लाभ का पद या स्थान) नियम, 2011 कहा जाएगा। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुप्रयोज्यताः इन नियमों में यथा-उपबंधित के अलावा ये नियम कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत सभी कम्पनियों लागू होंगे ।
- 3. निदेशकों के संबंधी आदि की नियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार का अनुमोदनः किसी कम्पनी में लाभ के पद या स्थान पर कोई नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि निम्नलिखित के बारे में किसी आवेदन पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन न हो—
 - (क) किसी फर्म का भागीदार या किसी निदेशक या प्रबंधक का संबंधी; या
 - (ख) वह फर्म जिसमें ऐसे निदेशक या प्रबंधक या दोनों के संबंधी भागीदार हों, या
 - (ग) किसी निजी कम्पनी में जिसमें ऐसे निदेशक या प्रबंधक या दोनों के संबंधी निदेशक या सदस्य हों जिसमें 2,50,000 रुपये से अधिक पारिश्रमिक दिया जाता हो ।
 - (घ) कोई व्यक्ति जो किसी निदेशक या प्रबंधक का संबंधी है तथा सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में नियुक्त हुआ हो एवं उसे आवधिक आधार पर कमीशन सहित पारिश्रमिक दिया जाता हो ।
- 4. निदेशकों के संबंधियों तथा निदेशकों का लाभ के पद/स्थान पर चयन :
 - (क) किसी निदेशक के संबंधी का किसी कम्पनी में 2,50,000 रुपये से अधिक प्रतिमाह वेतन पर लाभ के पर या स्थान पर चयन एवं नियुक्ति का अनुमोदन गैर-संबंधियों के लिए लागू समान प्रक्रियाओं के द्वारा ही किया जाएगा तथा चयन सिमित द्वारा अनुमोदित होगा ।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, सूचीबद्ध पब्लिक कम्पनियों के मामले से अभिव्यक्ति ''चयन समिति'' का अर्थ वह समिति है जिसमें कम से कम तीन सदस्य हों जिसमें से अधिकतर स्वतंत्र निदेशक हों एवं एक बाह्य विशेषज्ञ शामिल हो : बशर्ते कि गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों में स्वतंत्र निदेशक आवश्यक नहीं है परन्तु चयन समिति में बाह्य विशेषज्ञों का होना आवश्यक है:

बशर्ते कि प्राइवेट कंपनियों के मामलों में चयन समिति की आवश्यकता नहीं है।

- 5. **आवेदनों की जांच हेतु प्रक्रिया :** नियम 3 के तहत आवेदन की जांच कम्पनी अधिनियम, 1956, के तहत् सभी अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :-
- (क) किसी नियुक्त व्यक्ति विशेष के मामले में उससे यह वचन लैना कि वह कम्पनी में अनन्य नियोजन में रहेगा तथा किसी अन्य कम्पनी में लाभ के स्थान पर नहीं रहेगा ।
- (ख) नियुक्त व्यक्ति को अदा किए जाने वाले प्रस्तावित सभी भक्तें तथा अनुलब्धियों एवं पारिश्रमिक पैकेज (मासिक/वार्षिक) का मौद्रिक मूल्य एवं उसके द्वारा कम्पनी को दी जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा ।
- (ग) शेयरधारिता पैटर्न, विशेषरूप से निदेशकों, उसके/उनके संबंधियों सहित शेयरधारिता, सार्वजनिक धारिता, संस्थागत धारिता (प्रत्येक संस्थान पृथक् रूप से) तथा कम्पनी द्वारा तीन पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के दौरान अदा किए गए लाभांश की मात्रा ।
- (घ) समान रूप से पदस्थ कार्यकारियों की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव, वेतनमान, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं का ब्यौरा ।
- (ङ) किसी संबंधी की नियुक्ति के मामले में कम्पनी के निदेशक/कम्पनी सचिव से यह वचन लेना कि समान रूप से पदस्थ कर्मचारी को तुल्य वेतन मिल रहा है ।
- (च) उन कर्मचारियों के विवरण एवं सूची जिन्हें प्रतिमाह 2,50,000 रुपये या अधिक पारिश्रमिक मिल रहा है।
- (छ) कम्पनी में प्रबंधकीय/पूर्णकालीन निदेशक, प्रबंधक या किसी अन्य पद पर नियुक्त सभी निदेशकों के संबंधियों की कुल संख्या; कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के प्रयोजनार्थ लाभ के प्रतिशत के रूप में परिकलित उन सभी को अदा किया गया कुल पारिश्रमिक।

[फा. सं. 17/75/2011-सीएल-V] डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2011

- G.S.R. 357 (E).—In exercise of the poweres conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 642, read with sub-section (1B) of Section 314 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following Rules in supersession of the earlier Notification No. G.S. R. 89(E) dated 5-2-2003, namely:—
- 1. (1) Short Title and Commencement: (1) These rules may be called Director's Relative (Office or Place of Profit) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Applicability: These rules shall apply to all companies registered under the Companies Act, 1956 except as provided in these rules.
- 3. Approval of the Central Government in case of Appointment of Relatives, etc. of Directors: No appointment for an office, or place of profit in a company shall take effect unless approved by the Central Government on an application, in respect of:—
 - (a) Partner of film or relative of a Director or Manager; or
 - (b) Firm in which such Director, or Manager of relative of either is a partner; or
 - (c) Private Company of which such Director or Manager or relative of either is a Director, or member, which carries a monthly renumeration exceeding, Rs. 2,50,000 p.m.
 - (d) An individual who is a relative of a Director, or Manager and is appointed as an Advisor or Consultant and paid remuneration including commission on periodical basis.

4. Selection of Relatives of Directors and Directors to Hold a Place of Office/Profit:-

(a) The selection and appointment of a relative of a Director for holding office or place of profit in the company with a salary exceeding Rs. 2,50,000 per month shall be approved by adopting the same procedure applicable to non-relatives and approved by a Selection Committee.

EXPLANATION: For the pupose of the sub-rule, in the case of listed public companies, the expression "Selection Committee" means a committee, consisting at least three members, the majority of which shall be independent Directors and an outside Expert:

Provided that in case of unlisted companies, independent Directors are not necessary but outside experts should be there in the Selection Committee:

Provided further that in the case of private companies, Selection Committee is not necessary.

- 5. Procedure for Examination of Application: The application under rule 3 shall be examined with respect to the following, in addition to all other requirements under the Companies Act, 1956:—
 - (a) In the case of individual appointee, an undertaking from him that he/she will be in the exclusive employment of the company and will hold a place of profit in any other company.
 - (b) The monetary value of all allowances and perquisites and of total remuneration package (monthly/annually proposed to be paid to the appointee and details of the services that will be rendered by him to the company.
 - (c) Details of shareholding pattern particularly the shareholding of the directors along with his/her/their relatives, the public holding, institutional holding (each institution separately) and the quantum of dividend paid by the company during the last three preceding financial years.
 - (d) Details of the educational qualification/experience, pay scale, allowances and other benefits of similarly placed executives.
 - (e) In case of the appointment of a relative, an undertaking from the Director/Company Secretary of the company that the similarly placed employees are getting the comparable salary.
 - (f) List and particulars of the employees who are in receipt of remuneration of Rs. 2,50,000 or more per month.
 - (g) The total number of relatives of all the Directors either appointed as Manager/Whole time Director, Manager or in any other position in the company, the total remuneration paid to all of them altogether as a percentage of profit as calculated for the purpose of Section 198 of the Companies Act, 1956.

[F. No. 17/75/2011-CL-V]

Dr. T.V. SOMANATHAN, Jt. Secy.

controlled to the first of the property of the Value of the second of the sec · humidal